न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 89 / 2024

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

रूकमों देवी पत्नि जेठाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डेरपाना तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. चम्पालाल पुत्र भंवरा 2. निम्बसिंह पुत्र भंवरा जाति पुरोहित निवासी डेरपाना तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 3. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई. शाखा भूंका भगतसिंह 4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री अर्जुनराम प्रजापत वकील प्रार्थी उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 4 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 18.12.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है जिसमें वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 96/2 रकबा 7.5803 हैक्टेयर मौजा डेरपाना पटवार क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी में आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी का 1/3 हिस्सा तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग– अलग हिस्से दर्ज है एवं इसी हिस्सो में माफिक प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज है। मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के मेंढो को ले[illegible] रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थीनी के हिस्से की भूमि एवं उसके [illegible] रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम [illegible] तोड रहे है [illegible] प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थीनी को सड़क मार्ग [illegible] नहीं जाने देते है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थी अपने हिस्से व कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

श्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थी को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू–भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है तथा उक्त खसरा में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु नहीं है तथा सड़क मार्ग पर विप्रार्थीगण स्वयं काबिज होने पर प्रयासरत है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलाती भूमिमें विप्रार्थीगण विशिष्ट भूमि–भाग निर्माण आदि करवाने के अधिकारी नहीं है क्योंकि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक ईंच पर समान हक व हिस्सा होता है तथा प्रार्थी के हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि में मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम सेढे को तोड़कर विप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे है तथा प्रार्थीनी को सड़क मार्ग तक आने जाने नहीं दे रहे है तथा जगह जगह निर्माण कर बाधा पैदा कर रहे है। यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में रेकर्डेड खातेदार है जिनका वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है परन्तु विप्रार्थीगण द्वारा सड़क किनारे विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण आदि करने पर प्रयासरत है जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 96/2 रकबा 7.5803 हैक्टेयर मौजा डेरपाना पटवार क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थी के हिस्से पर काश्त करें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण करें तथा प्रार्थी को सडक मार्ग या कटाण मार्ग तक आने जाने में किसी प्रकार कीदुविधा पैदा नहीं करें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावें।

प्रार्थीनी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें प्राथीर्नी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थीनी तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 96/2 रकबा 7.5803 हैक्टेयर मौजा डेरपाना पटवार क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी में आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग– अलग हिस्से दर्ज है एवं [illegible] विवादित भूमि पर काबिज है। मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा [illegible] परन्तु प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर [illegible] हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार [illegible] मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है [illegible] काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:03 IST
Reason: SelfAttested

नाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थी अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थी को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू-भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है। जंहा तक खातेदारी की सामलाती भूमि पर कब्जा करने तथा पक्का निर्माण अत्यादि नहीं करने अथवा सड़क मार्ग तक आने-जाने नही देने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी इन तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रमाणित नहीं कर पाया। दूसरी तरफ जहां तक पक्षकारान के मध्य सामलाती खातेदारी के खेत के विभाजन का होने व उसे बेदखल करने का प्रश्न है, उसके निस्तारण की कार्यवाही मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूतों के आधार पर तय करते हुए निराकरण किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में प्रथम द्रष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्राथीर्नी का आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:03 IST
Reason: SelfAttested